हर इंसान एक समान

एक राष्ट्र-एक जन

मेरा भारत महान



पढ़ो और आगे बढ़ो

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री करण सिंह राठौड़
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

रामनिरंजन गोड़
महासचिव , मो. 094144-08499

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
भंवरराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
बाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दुल्हा सिंह चुण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 68524-68527 दिनांक : 25.05.2024

श्रीमान राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, राजभवन, जयपुर	श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर	श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।	श्रीमान सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषयः—शिकायत विरूद्ध श्री आनन्द कुमार, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव होम— जांच के पश्चात इन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मांग।

संदर्भः—जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करके माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना करते हुये पुलिस विभाग में जातिगत वैमनस्य फैलाने का दुष्कृत्य।

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि इस आपका ध्यान राजस्थान केडर के आई.ए.एस. अधिकारी श्री आनन्द कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव होम द्वारा लगातार किये जा रहे जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों के दुरूपयोग की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।

हमें यह जानकारी मिली है कि श्री आनन्द कुमार ने अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण का लाभ लेते हुये यह आई.ए.एस का पद प्राप्त किया है और अपने प्रशासनिक पदों के अधिकारों का जातिगत आधार पर दुरूपयोग करते हुये गैर अनुसूचित जाति वर्ग के लोकसेवकों और नागरिकों को दुराशय पूर्वक प्रताडित एवं परेशान करने का कोई अवसर नहीं चूकते हैं। हाल ही में दिनांक 14 मई 2024 को इन्होंने पुलिस विभाग में अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की जानबूझ कर अवमानना करते हुये सामान्य पदों पर आरक्षित वर्ग के लोकसेवकों को अविधिक रूप से पदोन्नति देने का एक ऐसा विवादित आदेश श्रीमान महानिदेशक पुलिस पर दवाब डाल कर जारी करवाया (आदेश की प्रति संलग्न है) जिससे पूरे पुलिस विभाग में जातिगत वैमनस्यता और दुर्भावना चरम सीमा तक फैल चुकी है। उल्लेखनीय है कि यह आदेश कार्मिक विभाग से लगभग 17—18 माह पूर्व लिये गये उस तथाकथित मार्गदर्शन के आधार पर जारी करवाये गये हैं जिनके आधार पर 12 दिसम्बर 2022 में जारी विवादित आदेश पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही स्थगन दिया हुआ है।

श्री आनन्द कुमार द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये जारी करवाये गये उपरोक्त अविधिक आदेश दिनांक 14 मई 2024 को देखते ही पूरे पुलिस विभाग मे हडकम्प मच गया और हमारे पास पुलिस विभाग में कार्यरत सामान्य/ओबीसी वर्ग के सैकड़ों निष्ठावान, कर्मठ लोकसेवकों के फोन आने लगे। अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लाचार और पीड़ित लोकसेवकों द्वारा पुनः यायपालिका में याचिका लगाई गई उसके फलस्वरूप उपरोक्त अविधिक आदेश दिनांक 14 मई 2024 के कियान्वयन एवं प्रभाव को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुनः स्थगित (स्टे) कर दिया गया है।

श्री आनन्द कुमार द्वारा जनवरी 2024 में भी अपने प्रशासनिक अधिकारों का जातिगत आधार पर दुरूपयोग करते हुये आर.पी.एस. पदोन्नति प्रकरण में भी आरक्षित वर्ग के कुल 17 अधिकारियो को अविधिक रूप से सामान्य पदों पर पदोन्नति दिलवाई गई है जिसके आदेश दिनांक 29.01.2024 की प्रति भी संलग्न है। सामान्य/ओबीसी वर्ग के जिन निष्ठावान, कर्मठ आर. पी.एस. अधिकारियो की जगह आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को सामान्य पदों पर पदोन्नति दी गई है उन्हें भी श्री आनन्द कुमार द्वारा डराये, धमकाये जाने की जानकारी मिली है ताकि वे अपने

(लगातार—— 2)

हर ईमान-एक समान

एक राष्ट्र एक जन

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in

Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री करण सिंह राठौड़
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

रामनिरंजन गोड़
महासचिव , मो. 094144-08499

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. कं.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. कं. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हंसराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (2) दिनांक :

संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण में जाने की कार्यवाही नहीं करें। श्री आनन्द कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में भी सचिवीय पद पर सेवाऐं देते समय अपने प्रशासनिक अधिकारों का जातिगत आधार पर दुरूपयोग किया गया था। जिसकी शिकायत भी हमारे पास आई थी। ये श्रीमान अपनी कुण्ठाओं के चलते जहां भी पदस्थापित रहते हैं वहीं जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये सामान्य/ओबीसी वर्ग के लोकसेवकों/नागरिकों को प्रताड़ित और परेशान करने की कुचेष्ठा करते रहे हैं। आप यह भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सकल प्रशासनिक दक्षता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। श्री आनन्द कुमार के दुष्कृत्य प्रामाणिक रूप से सकल प्रशासनिक दक्षता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अतः इन्हें आरक्षण के आधार पर दी गयी आई.ए.एस. की नियुक्ति को प्रत्याहृत (विदड्रा) किया जावे। ऐसी परिस्थितियों में आपसे प्रार्थना है:-

1. श्री आनन्द कुमार जहां-जहां पदस्थापित रहे हैं वहां-वहां इन्होंने जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये जो-जो दुष्कृत्य किये हैं उन सभी की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाई जाकर इनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
2. दिनांक 14 मई 2024 का अविधिक आदेश (प्रति संलग्न) निकलवाकर श्री आनन्द कुमार द्वारा राजस्थान पुलिस विभाग में जातिगत वैमनस्य, दुर्भावना और गुटबाजी फैलाने का दुष्कृत्य किया गया है उसकी जांच करवाकर इनकी सेवाऐं बर्खास्त करते हुये इनके विरूद्ध आई.पी.सी. की संबंधित धाराओं के अधीन सरकार की ओर से फौजदारी मुकदमें दर्ज करवाये जावें।
3. उपरोक्त जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए श्री आनन्द कुमार का तबादला तत्काल अन्यत्र किया जावे।
4. उपरोक्त अविधिक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2022 और 14 मई 2024 (जिन पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है) को तत्काल निरस्त करके पुलिस प्रशासन में समता और सद्भावना का भाव पुनः विकसित किया जावे।
5. दिनांक 29 जनवरी 2024 को जारी आर.पी.एस. पदोन्नति आदेश के लिए रिव्यू डीपीसी करवाई जावे तथा अविधिक रूप से सामान्य पदों पर पदोन्नत किये गये अजा/अजजा के अधिकारियों को पदावनत करते हुये सामान्य/ओबीसी वर्ग के कर्मठ, निष्ठावान, पात्र आर. पी.एस. अधिकारियों को पदोन्नत किया जावे।

त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

संलग्नः- उपरोक्तानुसार तीन आदेश
दिनांक 12.12.2022, 29.01.2024 एवं 14.05.2024

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प–3(1) पु.फोर्स/पदो.अनु–15/2022/ 2272 दिनांकः– 12 दिसम्बर,2022

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस मय सीआईडी सीबी/आईबी/एसीबी/आर्म्ड बटालियन राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी/पुलिस दूरसंचार राजस्थान।
5. समस्त कमाण्डेन्ट आरएसी बटालियन मय आई.आर./एमबीसी राजस्थान।

विषयः–कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 6109 दिनांक 27.10.2015 के क्रम में।

प्रसंगः–संयुक्त शासन सचिव, गृह(ग्रुप–1) विभाग राजस्थान जयपुर ने पत्र क्रमांक प–4 (31) गृह–1/2022 दिनांक 01.12.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या प–3(1) पु.फोर्स/अनु. 4/2009/6109 दिनांक 27.10.2015 के द्वारा योग्यात्मक परीक्षाओ में चयन करने के सम्बंध दिशा–निर्देश जारी किये गये थे के **अतिक्रमण** में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के सम्बंध में ''यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का अभ्यांश क्रमशः 16 एवं 12 प्रतिशत पूर्ण है एवं उक्त वर्ग का कोई पात्र अभ्यार्थी वर्तमान में वरिष्ठ होने के साथ ही (Own Seniority) अर्थात सेवा में प्रवेश (सीधी भर्ती) के समय की वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ है तो उसे अनारक्षित (सामान्य) वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध चयन किया जावेगा, जिसे आगामी वर्षो की आरक्षित वर्ग की रिक्तियो में समायोजित कर लिया जावेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के कनिष्ठ अभ्यार्थी के चयन होने की स्थिति में ही आरक्षित वर्ग का अभ्यार्थी सामान्य वर्ग की रिक्तियो के विरूद्ध चयन होगा।

सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्तवपूर्ण नही है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा नही'।

अतः तदानुसार आपके अधीन रेंज/जिला/यूनिट में आयोजित की जाने वाली योग्यात्मक परीक्षा सम्पादित की जावें।

भवदीय,

12/12/2022

(बिनीता ठाकुर)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(3)गृह–1/2023 (12994) जयपुर, दिनांक :

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित नियमित विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.01.2024 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **वरिष्ठ वेतन श्रृखंला की वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध** निम्नांकित अधिकारियों को कनिष्ठ वेतन श्रृखंला से वरिष्ठ वेतन श्रृखंला में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता हैः–

क्रं.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1.	श्री श्योराज मल/जनसी लाल मीणा	एसटी	01.04.2023
2.	श्री सांवर मल नागौरा/रघुनाथ प्रसाद	एससी	01.04.2023
3.	श्री रतनलाल/सुखाराम	एस.सी.	01.04.2023
4.	श्री रामेश्वर/छीतरलाल	एस.सी.	01.04.2023
5.	श्री मुकेश चावडा/खेमचन्द	एस.सी.	01.04.2023
6.	श्री राजेश कुमार मेसराम/ जी0आर0	एस.सी.	01.04.2023
7.	श्री मेघचन्द मीणा/प्रहलाद मीणा	एसटी	01.04.2023
8.	श्रीमती सुशीला/महावीर सिंह	एसटी	01.04.2023
9.	श्री हरिचरण मीणा/जसराम मीणा	एसटी	01.04.2023
10.	श्री फूलचन्द/मूलाराम	एसटी	01.04.2023
11.	श्री धनफूल मीणा/परसादी लाल	एसटी	01.04.2023
12.	श्री रोहित कुमार मीणा/ लक्ष्मीनारायण	एसटी	01.04.2023
13.	श्री रतन लाल/चुन्नीलाल	एससी	01.04.2023
14.	श्री मॉगीलाल राठौर/कालूराम	एससी	01.04.2023
15.	श्री नरपत सिंह/बद्रीदान	एससी	01.04.2023
16.	श्री हवा सिंह/मक्खन लाल	एससी	01.04.2023
17.	श्री सुरेश कुमार/मालाराम	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	01.04.2023
18.	श्री विजय कुमार/शिवदान	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	01.04.2023
19.	श्री किशोरी लाल/मोढूराम	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	01.04.2023
20.	श्री राजूराम/मूलाराम	सामान्य	01.04.2023
21.	श्री लाभूराम/पदमाराम	सामान्य	01.04.2023
22.	श्री चन्द्र सिंह/तेज सिंह	सामान्य	01.04.2023
23.	श्री झाबरमल/नानूराम	सामान्य	01.04.2023
24.	श्री किशोर सिहं/जालम सिंह	सामान्य	01.04.2023
25.	श्री विजय कुमार/यतेन्द्रपाल सिंह	सामान्य	01.04.2023
26.	श्री रामानन्द शर्मा/नेमीचन्द	सामान्य	01.04.2023
27.	श्री रामनिवास/हनुमानाराम	सामान्य	01.04.2023
28.	श्री विक्रम सिंह/गुमान सिंह	सामान्य	01.04.2023
29.	श्री सतपाल सिंह/डूंगर सिंह	सामान्य	01.04.2023
30.	श्री सुरेन्द्र सिंह/हनुमन्त सिंह	सामान्य	01.04.2023
31.	श्री पवन कुमार/भूपेन्द्र सिंह	सामान्य	01.04.2023
32.	श्री कन्हैयालाल मीणा/मोडूराम मीणा	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	01.04.2023
33.	श्री बलवीर सिंह/दलपत सिंह	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	06.04.2023
34.	श्री श्याम सुन्दर/मेघ सिंह	सामान्य	01.04.2023
35.	श्री रविराज सिंह/गिरवर सिंह	सामान्य	01.04.2023
36.	श्री राजीव परिहार/ हरिनारायण	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	01.04.2023

RajKaj Ref 5425390
Signature Not Verified
Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.01.29 15:07:34 IST
Reason: Approved

37.	श्री देवीसहाय मीणा/हरिराम मीणा	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	10.04.2023
38.	श्री महावीर सिंह/अर्जुन सिंह	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	10.04.2023
39.	श्री कालूराम मीणा/हरियालाल	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	08.05.2023
40.	श्री चिरंजी लाल/गोपाल लाल	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	12.06.2023
41.	श्री रणवीर सिंह/इन्द्रलाल	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	12.06.2023
42.	श्री बृजमोहन/शिवलाल	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	12.06.2023
43.	श्री रामेश्वर लाल/किस्तुराराम	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	12.06.2023
44.	श्री ज्ञान चन्द/भंवर लाल	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	12.06.2023
45.	श्री रामगोपाल/हुकमचन्द	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	12.06.2023
46.	श्री बुद्वराज/फकीर चन्द	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	12.06.2023
47.	श्री अंकित जैन	सामान्य	12.06.2023
48.	श्री संजय सिंह चम्पावत	सामान्य	12.06.2023
49.	श्री प्रवेन्द्र सिंह महला	सामान्य	12.06.2023
50.	श्री अमित सिंह	सामान्य	12.06.2023
51.	श्री दीपक गर्ग	सामान्य	12.06.2023
52.	श्री मुकुल शर्मा	सामान्य	12.06.2023
53.	श्री खींव सिंह	सामान्य	12.06.2023
54.	श्री अरविन्द	सामान्य	12.06.2023
55.	श्री नूर मोहम्मद	सामान्य	12.06.2023
56.	सुश्री नेहा अग्रवाल	सामान्य	12.06.2023
57.	श्री संदीप सारस्वत	सामान्य	12.06.2023
58.	श्री सुनील सिहाग	सामान्य	12.06.2023
59.	श्री हिम्मत चारण	सामान्य	12.06.2023
60.	श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड	सामान्य	12.06.2023
61.	श्री सुरेश सांखला	सामान्य	12.06.2023
62.	श्री धर्मेन्द्र डुकिया	सामान्य	12.06.2023
63.	श्री धर्मा राम गिला	सामान्य	12.06.2023
64.	श्री मुकेश कुमार सोनी	सामान्य	12.06.2023
65.	श्री श्रवण कुमार झोरड़	सामान्य	12.06.2023
66.	सुश्री जिज्ञासा	सामान्य	12.06.2023
67.	श्री आशीष कुमार	सामान्य	12.06.2023
68.	श्री रजत बिश्नोई	सामान्य	12.06.2023
69.	श्री भूपेन्द्र	सामान्य	12.06.2023
70.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	सामान्य	12.06.2023
71.	सुश्री कीर्ति सिंह	सामान्य	12.06.2023
72.	सुश्री नियति शर्मा	सामान्य	12.06.2023
73.	सुश्री विजेता जाखड़	सामान्य	01.07.2023
74.	सुश्री प्रियंका कुमावत	सामान्य	11.08.2023
75.	श्री धन्ना राम	सामान्य	11.08.2023
76.	श्री देशराज गुर्जर	सामान्य	11.08.2023
77.	सुश्री अदिति चौधरी	सामान्य	12.08.2023
78.	सुश्री सुधा पालावत	सामान्य	01.09.2024
79.	श्री लोकेश मीणा	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरूद्व)	03.2024

RajKaj Ref 5425390

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.01.29 15:07:34 IST
Reason: Approved

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री महोदय, गृह
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5425390

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.01.29 15:07:34 IST
Reason: Approved

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक- प-3(01)पु.फो./पदो0 हैड कानि0/अनु-15/2023/ 1692 दिनांकः- 14 मई,2024

आदेश

पुलिस विभाग में हैड कानि. से पुलिस निरीक्षक (सामान्य/तकनीकी) तक के पदो की योग्यात्मक परीक्षाएं आयोजित करवाये जाने हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.20211 के संबंध में गृह विभाग से मार्गदर्शन चाहे जाने पर कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी.सं. 2315 दिनांक 22.11.2022 से प्रदत्त मार्गदर्शन के क्रम में गृह विभाग के पत्र प-4 (31) गृह-1/22 दिनांक 01.12.2022 के द्वारा दिये गये निम्नानुसार दिशा- निर्देशो की पालना करवाये जाने हेतु प्राप्त हुआ है:-

"यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग का अभ्यांश पूर्ण है, एवं उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक वर्तमान में प्रवेश के समय की मेरिट के आधार पर भी वरिष्ठ है, तो उसे अनारक्षित वर्ग की रिक्ति पर भी पदोन्नति से वंचित नही किया जावेगा। इस प्रकार आरक्षित वर्ग में होने वाले आधिक्य को भविष्य मे समायोजित किया जावेगा।

सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्तवपूर्ण नही है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा मेरिट के आधार पर।"

पुलिस विभाग में हैड कानि. से पुलिस निरीक्षक (सामान्य/तकनीकी) तक के पदो की योग्यात्मक परीक्षाओ में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशो की पालना निम्नानुसार करवाई जावें :-

1. पुलिस विभाग में राज्य स्तर/रेंज/जिला/यूनिटो में आयोजित हो चुकी योग्यात्मक परीक्षाओ में एससी/एसटी के कार्मिको को मूल पद **(भर्ती के समय)** की वरिष्ठता में वरिष्ठ होने पर चयन सूची पर नही लिया गया है, को राज्य सरकार के नवीनतम मार्गदर्शन पत्र दिनांक 25.04.24 की कियान्विति हेतु आरक्षित वर्ग के राजसेवक अपनी सेवामें प्रवेश के समय की मैरिट के आधार पर भी अनारक्षित वर्ग से वरिष्ठ है तो (उसी वर्ष की परीक्षा में सफल रहे) आरक्षित वर्ग के कार्मिक को रिव्यू में चयन सूची पर लिये जाने हेतु (पात्र आरक्षित वर्ग के कार्मिक से) वर्षवार लिखित में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जावें।
2. समस्त जिला/यूनिट/रेंज/राज्य स्तर पर पूर्व में आयोजित हो चुकी योग्यात्मक परीक्षाओं को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के क्रम में जारी दिशा-निर्देशो के तहत आरक्षण का लाभ लेने के उपरान्त भर्ती के समय की मूल वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ होने की स्थिति में चयन नही होने का सत्यापन सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किया जाकर उक्त आशय की सूचना प्राप्त की जावें।
3. उक्त प्रकिया प्रारम्भ किये जाने हेतु इस आदेश के जारी करने के **15 दिवस** के अन्तर्गत बिन्दू संख्या 01 के अनुसार वर्षवार चयन हेतु आरक्षित वर्ग के पात्र कार्मिको से आवेदन पत्र प्राप्त किये जावें।
4. नियत अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रो का विवरण सम्बंधित जिला/यूनिट/रेंज/ राज्य स्तर के कार्यालय द्वारा निम्न प्रपत्र में एक पंजिका का संधारण किया जावें।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	आवेदित रिव्यू पदोन्नति वर्ष	पदनाम जिसके लिये रिव्यू में चयन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। (सामान्य/तकनीकी)	आवेदित वर्ष में सफल /असफल	समान्य वर्ग का कनिष्ट कार्मिक का विवरण (कालम 6 सफल होने की स्थिति में)		विशेष विवरण
						नाम कार्मिक मय पदनाम	चयन क्रमांक/वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. आरक्षित वर्ग के कार्मिकों से लिखित में प्रार्थना पत्र/आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार **राज्य सरकार से** आवश्यकतानुसार छाया पद सृजित करवाने हेतु रेंज कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर इकजाई सूची निम्न प्रपत्र में भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को भिजवाई जावें।

क.सं.	रेंज/कार्यालय का नाम	जिला/यूनिट का नाम	रिव्यू पदोन्नति परीक्षा वर्ष	पदनाम जिसके लिये रिव्यू में चयन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। (सामान्य/तकनीकी)	कुल सत्यापित आवेदनो की संख्या (छायापद प्रस्तावित)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

6. राज्य सरकार से विगत वर्षो में पदोन्नति से वंचित रहे आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को नवीन निर्देशों के तहत छायापद की स्वीकृति प्राप्त होने पर इन छाया पदो के विरूद्ध पदोन्नत किये जाने हेतु नियमानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा रिव्यू बोर्ड का गठन किया जावेगा।
7. रिव्यू बोर्ड के द्वारा चयन हेतु समस्त आर्हताएं पूर्ण करने एवं वरिष्ठता के सम्बन्ध में सत्यापन की स्थिति में चयन बोर्ड की अनुशंसा पर (महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर से अनुमोदन उपरान्त) आरक्षित वर्ग के ऐसे पात्र कार्मिको को पदोन्नति प्रदान की जाकर तद्नुसार वरिष्ठता निर्धारण करवाई जाकर सम्बंधित कार्यालय (जहां से वरिष्ठता संधारित होनी है) से की जावेगी।
8. उक्त प्रक्रिया के उपरान्त चयनित आरक्षित वर्ग का पात्र कार्मिक यदि विगत वर्षो की वरिष्ठता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के उपरान्त गठित बोर्ड द्वारा चयनित किया जाता है तो समान पद पर चयनित अभ्यार्थी को पुनः पीसीसी करवाये जाने की आवश्यकता नही होगी।
9. भर्ती एवं पदौन्नति बोर्ड के पत्र संख्या 262 दिनांक 17.01.23 के अतिक्रमण में पुलिस विभाग में हैड कानि. से पुलिस निरीक्षक (सामान्य/तकनीकी) पदो की लम्बित पदोन्नति परीक्षाओ/स्क्रीनिंग से पदोन्नति के क्रम में गृह विभाग से प्राप्त नवीन मार्गदर्शन के अनुसार एवं पूर्व में जारी पत्र संख्या 2272 दिनांक 12.12.2022 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशो की पुलिस मुख्यालय/ रेंज/जिला/ यूनिटो के कार्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त बकाया पदोन्नति परीक्षाओ में पूर्ण पालना करवाई जावे।

ई0ओ0बी0नं0 617 /2024

(उत्कल रंजन साहू)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महानिदेशक पुलिस, एसीबी/प्रशिक्षण/साईबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं/इन्टे.,राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।
6. उप महानिरीक्षक पुलिस, प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर राजस्थान।
7. निदेशक, एफ.एस.एल. राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त/मय जीआरपी/सीआईडी सीबी/आईबी/एसीबी राज0।
9. प्रधानाचार्य आरपीटीसी किशनगढ।
10. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन मय एमबीसी/खैरवाडा/बांसवाडा/आईआर।

(सचिन मित्तल) 14/5
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड
राजस्थान जयपुर।